[k.M% 2] vad% 11 uoEcj 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

न्यायिक विधायन: राम, राफेल एवं राजनीति

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

न्यायिक विधायनः राम, राफेल एवं राजनीति

अनुक्रमिका

सम्पादकीय		i-ii
1. न्यायिक विधायन बनाम न्यायिक सक्रियताः धर्म रक्षा एवम् राजनीति के सन्दर्भ में	– गरिमा शर्मा	1–3
2. अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालयः ध्रुवीकरण की राजनीति का अंत	– जया ओझा	4–6
3. अयोध्या निर्णयः इतिहास से न्यायिक रुपरेखा तक	– राखी	7–9
4. राम रॉफेल एवं राजनीति के संदर्भ में न्यायायिक प्रकिया	– स्वीटी अंजली	10–13
5. रॉफेल और राम मंदिरः लोकतांत्रिक दृष्टिकोण	– वर्षा तोमर	14–16
6. राजनीति में राम–राफेल	– शुभम	17–19
7. राजनीति में विमानः आरोप और प्रत्यारोप	– रजनी	20–22
8. सबरीमाला मंदिर एवं महिला प्रवेशाधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	– सृष्टि	23–25
9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी राजनीति के रूप में राफेल विवाद	– काजल	26–29

सम्पादकीय

अत्याधिक हर्ष सहित हम केन्द्र की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के ग्यारहवें तथा अब तक के सोलहवें अंक को प्रकाशित कर रहे हैं। शोध केन्द्र से संबद्ध अपने समस्त शोधार्थियां एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक माह के समसामयिक विषय पर शाध वास्तविकताओं के लेखीय प्रकटीकरण की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में गत डेढ़ दशक से नियमित रुप से पाठकों के समक्ष प्रेषित हो रही है।

वर्ष 2019 का नवम्बर माह राजनीतिक वादानिवादों से ओत–प्रोत रहा। ये माह मुख्यतः न्यायपालिका द्वारा विभिन्न विवादास्पद वाद–विषयों पर महत्वपर्ण निर्णयों पर केन्द्रित रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने नवम्बर माह में ऐसे कई अहम निर्णय दिये जिसका भारत की भावी राजनीति एवं समाज पर एक दूरगामी प्रभाव पडने की संभावना है। अयोध्या में विवादित स्थान पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो या केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश संबंधित निर्णय हों, राफेल पर कांग्रेस का राजग सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप हो या केन्द्र सरकार द्वारा न्यायाधिकरण संबंधित नियमावली के संरुपण को अक्षम करने का न्यायिक निर्णय हो, सर्वोच्च न्यायपालिका को सूचना के अधिकार में सम्मिलित करने की पहल हो या राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का संपूर्ण भारत में कार्यान्वयन पर बल हो – सभी विषयों पर न्यायपालिका के निर्णयों ने एक नवीन वाद–विमर्श को जन्म दिया है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'न्यायिक विधायनः राम, राफेल एवं राजनीति' विषय पर लेख आमंत्रित किये। नौ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल न्यायिक विधायन के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु न्यायपालिका की परिवर्तनीय भूमिका को विश्लेषित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी स्पर्श करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार से प्रभावित अथवा परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों

में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदर्शित करते हैं।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के अंतिम दिसम्बर माह के समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शनिवार, 14 दिसम्बर 2019

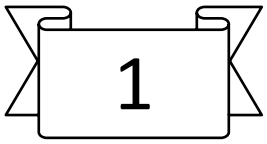

न्यायिक विधायन बनाम न्यायिक सक्रियताः धर्म रक्षा एवम् राजनीति के सन्दर्भ में

गरिमा शर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकतंत्र अभिवृत्ति एवं अनुभव का विषय है और इसकाअध्ययन करना कठिन कार्य है। निरंतर प्रयासों एवं अनुभवों द्वारा लोकतंत्र के प्रति अभिवृत्ति का विकास किया जाता है परन्तु लोकतंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए अभिवृत्ति के साथ संस्थाओं की भी आवश्यकता होती है। हालाँकि उत्तर व्यवहारवाद के पश्चात् संस्थाओं से अधिक अभिवृत्तियों के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा था लेकिन व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र में ऐसी अनेक संस्थाएं होती हैं जो अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से लोकतान्त्रिक अभिवृत्ति को सरंक्षित एवं पोषित करने का प्रयास करती ह। अपनी इस कार्यशैली के कारण ही वह लोकतंत्र के अंतर्गत एक विश्वसनीय संस्था के रूप में अपना एक विशेष स्थान निर्मित करती है। भारतीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका की भूमिका के अध्ययन को विश्वसनीय संस्थाओं के रूप में सारगर्भित किया जा सकता है जिनके द्वारा समय–समय पर अपनी सक्रियता से लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने का कार्य किया गया है। लोकतंत्र के अंतर्गत कई बार इनकी सक्रियता को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के अतिक्रमण के रूप में भी व्याख्यायित किया गया ह। इस विवाद को न्यायपालिका एवं विधायिका की कार्य शैली में एक लम्बे समय से अनुभव किया जा सकता है।

जहाँ विधायिका जनप्रतिनिधित्व के रूप में जानी जाती है वहीं न्यायपालिका को जन रक्षक माना जाता है इसलिए लोकतंत्र की इन दोनों संस्थाओं के मध्य संविधान के संरक्षक की भूमिका पर एक लम्बी खींचातानी चलती रही है। नेहरु ने लोकतंत्र के आरंभिक काल में जहाँ एक ओर लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों पर अधिक बल दिया वही दूसरी ओर न्यायपालिका के साथ संबंधों में तनाव का आरम्भ हो चुका था जिसका चरम बिंन्दु उनकी पुत्री इंदिरा के शासन काल में देखा गया। लोकतंत्र की विकास यात्रा को अवरुद्ध करता आपातकाल

तथा उस समय किए गए अनेक संविधान संशोधनों को न्यायपालिका द्वारा परिवर्तित किया गया, इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब न्यायपालिका द्वारा संविधान की आधारभूत सरंचना को ध्यान में रखते हुए संविधान की आत्मा की रक्षा की गई थी।

भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले धर्म, रक्षा एवं राजनीति ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु रहे है जिन्होंने एक लम्बे समय से भारतीय लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि में अस्मिता, हित एवं विचारधारा से सम्बन्धित प्रश्नों को खड़ा कर रखा था। राम मंदिर का विषय इन सभी में सबसे ज्यादा आकर्षक रहा। बी.जे.पी की सम्पूर्ण राजनीति को राम मंदिर के इर्द–गिर्द ही देखा जा रहा था तथा वही दूसरी ओर उनके द्वारा सकारात्मक पंथ निरपेक्षता पर बल एक अन्य पक्ष को रख रहा था इस विवाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक की राजनीति के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में सर्वोच्च न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संवैधानिक पीठ के द्वारा बड़ी कुशलता से इस संवेदनशील समस्या का हल किया जिसमें किसी विशेष धर्म की विजय से अधिक ऐतिहासिक दावेदारी को सर्वोपरि रखा गया इसलिए निर्णय हिन्दू या मुस्लिम धर्म के पक्ष में न होकर रामलला विराजमान के लिए रखा गया साथ ही पूर्ण न्याय के स्थापित करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनी विशेष शक्ति के द्वारा अनुछेद 142 के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए भी भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

दूसरा आस्था और अधिकार से सम्बन्धित मुद्दा सबरीमाला मंदिर पर रहा जो हिन्दू लोगों की आस्था एवं महिला अधिकारों को झनझोरता हुआ न्यायपालिका के कार्य सीमा को निर्धारित करता हुआ दिखा। संवैधानिक पीठ में जहाँ लगभग सभी न्यायाधीशों की एक मत मान्यता थी की लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अन्दर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता परन्तु एक मात्र महिला न्यायाधीश ने इस विषय को पुनर्विचार के लिए अपना मत रखा तथा सबरीमाला में महिला प्रवेश से सम्बन्धित विषय को वहाँ के लोगों जिनकी वास्तविकता में भगवान् आय्यापा में आस्था है के इतिहास पर विचार करने का सुझाव प्रस्तुत किया। इस प्रकार एक विमर्श यह भी निकल कर आया कि क्या न्यायालय लोगों की आस्था का निर्धारण कर सकती है या नहीं इस विमर्श के आधार पर इस विषय को अन्य बड़ी पीठ की निर्णय प्रक्रिया पर सौप दिया गया।

धर्म के पश्चात सुरक्षा का विषय भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीति का ज्वलंत मुद्दा रहा है बोफोर्स भ्रष्टाचार विवाद के बाद भारतीय इतिहास में राफेल का मुद्दा एक नये भ्रष्टाचार विवाद को उभरता नज़र आ रहा था परन्तु न्यायपालिका द्वारा इस विवाद में सरकार को हरी झंडी दिखाकर

भारतीय रक्षा से सम्बन्धित विश्वसनीयता को स्थापित किया। राजनीतिक मुद्दों में राहुल गाँधी द्वारा की गयी राजनीतिक टिप्पणी या फिर मुख्य न्यायाधीश को सूचना के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करना यह सभी विवादित विषय तात्कालिक सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता एवं विधायन के प्रश्नों को प्रस्तुत करता दिखाई दिया।

न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है कि नहीं इस विषय पर भी अनेक मत है जिस पर स्वयं पूर्व न्यायाधीश जे. एस. वर्मा द्वारा कहा गया था की सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है परन्तु अभ्रांत (अचूक) नहीं। वहीं प्रसिद्ध बुद्धिजीवी ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते है कि जो संस्थाएं स्वयं संविधान की व्याख्याओं पर आधारित होती है वह किस प्रकार से संविधान के संरक्षक के रूप में उभर सकती हैं यह भी विचारणीय प्रश्न है संविधान मात्र कानून नहींहै वरन् कानून से भी सर्वोपरि है जिसमें अन्य कानून समाहित हो जाते हैं अतः तार्किक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ही इसका प्रथम संरक्षक कहलाने का अधिकार रखता है। वास्तविकता में इसे ही लोकतंत्र की सुन्दरता के रूप में देखा जा सकता है कि जिन लोगों से लोकतंत्र का निर्माण होता है लोकतंत्र का कार्य उन लोगों के हितों का निर्धारण करना ही होता हैं संसद संविधान में संशोधन के द्वारा परिवर्तन कर सकता है परन्तु न्यायपालिका इसे आधारभूत सरंचना के लिए अहितकारी समझकर उस संशोधन को भी परिवर्तित कर सकती है।

♦♦♦♦♦

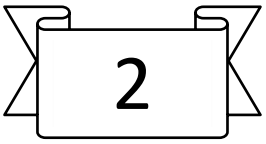

अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालयः ध्रुवीकरण की राजनीति का अंत

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीश– प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस० ए० बोबडे, न्यायाधीश डी० वाई० चंद्रचूड़, न्यायाधीश अशोक भूषण, तथा न्यायाधीश ए० अब्दुल नाजिर का अयोध्या निर्णय कई विश्लेषणों के अध्ययन का विषय बन गया है। लगभग तीन दशकों से भारतीय राजनीति में चल रहे अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वानुमाति से निर्णय दिया गया। परंतु प्रश्न यह है की क्या धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति का इस निर्णय के साथ अंत हो जाएगा या इस निर्णय ने ऐसे और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है? अयोध्या विवाद पर निर्णय आते ही कई लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक फैसले से उस विवाद पर विराम लग गया है जो 70 वर्ष पुराने सामाजिक ताने–बाने को दुर्बल कर रहा था। परंतु एक मंदिर या मस्जिद के कारण देश का सांप्रदायिक साहार्द निर्बल होता तो, सैकड़ो साल पुरानी सभ्यता तथा संस्कृति वास्तविक रूप में कमजोर होती एवं देश कि एकता व अखंडता के टूटने का खतरा सदैव बना रहता।

अयोध्या की विवादित भूमि (2.77 एकड़) पर निर्णय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी बड़ी चुनौती का काम रहा होगा क्योंकि इसमें जहां एक ओर कानून, संविधान एवं तथ्यों पर विचार करना था वहीं दूसरी ओर यह एक आस्था का विषय भी था। परंतु न्यायालय ने आस्था और एतिहासिक तथ्यों के बीच संतुलन बनाते हुए सर्वसम्मति से निर्णय देने का प्रयास किया। इसपर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि, यह निर्णय बहुसंख्यक जन को आस्था को सर्वोपरि मानते हुए दिया गया? परंतु ऐसा नहीं है, इसके लिए साक्ष्यों तथ्यों तथा एतिहासिक घटनाओं को समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित किया गया।

स्वतन्त्रता पूर्व ही देश में दो विचारधाराएँ कार्यरत रहीं। एक का तर्क था कि पाकिस्तान निर्माण के बाद मुस्लिमों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, वहीं दूसरे पक्ष का मानना था कि एक ऐसे लोकतान्त्रिक देश का निर्माण किया जाए जहाँ सभी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत

कर सके अर्थात एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं कर सकता, सभी जन अपने मूल्यों, विश्वासों और धर्मों का पालन कर सकते हैं, किसी भी समुदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु रामजन्म भूमि मंदिर–मस्जिद के विवाद और संघर्ष की राजनीति ने ध्रुवीकरण को जन्म दिया। हिन्दू–मुस्लिम समुदायों में इस राजनीति ने कड़वाहट पैदा करने का भरसक प्रयास किया। 1989 से देश की राजनीति में प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा के चुनाव इसी विषय को लेते हुए ही लड़े जाते रहें हैं। मंदिर–मस्जिद की राजनीति ने सरकारों को बनाने तथा गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह अपनी पुस्तक "अयोध्या–रामजन्मभूमि–बाबरी–मस्जिद का सच" में अयोध्या विवाद को बताते हुए कहते हैं कि राजनीति द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मंदिर–मस्जिद विषय का प्रयोग किया जाता रहा।

1990 में इसी मुददें पर उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी। उस समय भाजपा के कुछ मुख्य नारें थे जैसे– 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएँगे', यह तो झांकी है, मथुरा–काशी बाकी है', 'तीन नहीं तीन हजार, नहीं बचेगी कोई मजार'। यह देश में धर्मनिरपेक्ष की भावना से बिल्कुल विपरीत थी। इस प्रकार इस ध्रुवीकरण का प्रयोग राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए भी बनाए रखना चाहते थे। अयोध्या मंदिर विवाद के दोनों पक्षधर दशकों से अपने–अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। अंततः हिन्दुओं को उनका अस्तित्व मिला और इस ध्रुवीकरण की राजनीति का भी अंत माना जा सकता है। इस राजनीति ने कई जाने ली हैं तथा राजनीति को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया, जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों एवं संविधान–निर्माताओं ने कभी नहीं की होगी।

न्यायाधीशों ने 1,045 पृष्ठों के अपने इस निर्णय में न्याय, समता तथा विवके को सर्वोच्चता पर रखने का प्रयत्न किया। 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार से तीन महीने में एक न्यास की स्थापना करने को कहा, जिसमें निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा इसके साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए केंद्र या राज्य सरकार को पांच एकड़ जमीन प्रदान करने के लिए कहा। विधिवेत्ता उपेंद्र बख्शी ने इसे अत्यंत ही संतुलन वाला निर्णय कहा। उपेंद्र बख्शी का मानना है कि यह निर्णय ऐसे दौर में आया है, जब विश्व भर में कट्टर अनुदारवादियों की चमत्कारी संवैधानिक निरकुंशता सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव पैदा कर रही हैं, किसी तरह की असहमति और विरोध जताने वाले विरोधी मतों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के विरुद्ध बताया जा रहा है (आउटलुक, 2 दिसंबर 2019)। इसीलिए निर्णय

से पहले ही उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रोंमें धारा 144 को लागू कर दिया गया था जिससे कि विरोध की कोई असंभावना ना रहे। यद्यपि यह एक संतुलित निर्णय रहा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से बहुसंख्यक राजनीति की उग्रता का पटाक्षेप होगा या इसके नए रूप उभर कर आएंगे यह प्रश्न अभी भी हमारे सामने है। यह आशा है कि धर्म को राजनीति एवं भगवान राम को इस राम की राजनीति से मुक्ति मिलेगी। राम की जन्म–भूमि इतिहास व समाज के चक्रव्यूह से मुक्त हो चुकी ळें राजनीति में ध्रुवीकरण को प्रक्रिया जो अयोध्या से शुरू हुई वह अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो गई है।

♦♦♦♦♦

3

अयोध्या निर्णयः इतिहास से न्यायिक रुपरेखा तक

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,दिल्ली विश्वविद्यालय

सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या निर्णय का हिन्दू तथा मुस्लिम के मध्य बहुमत तथा अल्पमत के विभाजन के रूप में जो वर्गीकरण किया जा रहा है यह वास्तव में दो धार्मिक समूहों के हितो की सर्वोच्च्ता का मुद्दा मात्र नहीं है इससे अधिक भारतीय समाज में राजनीतिक परिघटनाओ से संचालित ऐसा विवाद है जिसने 1990 के दशक में एक वृहत लामबंदीकरण को जनाधार के रूप में निहित कर भारतीय समाज के स्वरूप में एक नया अध्याय शामिल किया है। वह समय इस विवाद की रुपरेखा को केवल न्यायिक नहीं अपितु सामाजिक, राजनीतिक नजरिये से सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण था क्योंकि यही वह समय था जब राजनीति मुद्दों के रूप में अयोध्या का विवाद सार्वजनिक रूप से साम्प्रदायिक बन गया। रामजन्म भूमि, बाबरी मस्जिद विवादास्पद अयोध्या की जमीन जिस पर हिंदू संगठन का तर्क था कि यहां प्राचीन मंदिर था जिसे 1528 में मुगल साम्राज्य शासक बाबर द्वारा नष्ट करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस तर्क के आधार पर 6 दिसंबर 1992 को एक आंदोलन के दौरान तोड़ा गया था इस विवाद में मुख्य पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला है, जो 1989 में इस विवाद में शामिल हुए है। इनके अलावा अनेक सामुदायिक समूह जैसे ऑल इंडिया हिंदू महासभा तथा कुछ व्यक्ति जसे इकबाल अंसारी हैं जो हिंदू तथा मुस्लिम पक्ष के रूप में शामिल हो गये हैं।

अयोध्या विवाद का कानूनी इतिहास

1822 में सर्वप्रथम फैजाबाद कोर्ट के एक अधिकारी ने यह तर्क दिया कि यह जमीन जिस पर मस्जिद निर्मित है मंदिर की है जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तत्पश्चात दिसंबर 1949 में हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस जगह पर भगवान श्रीराम के चिन्हों को स्थापित करने का प्रयास किया जिसके पश्चात इस मस्जिद को अधिकारियों द्वारा कानूनी रूप से बंद कर दिया गया। समय–समय पर हिंदू तथा मुस्लिम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा इस विषय में अनेक याचिकाएं दाखिल की गई जिसके पश्चात् 1986 में फैजाबाद जिला जज द्वारा निर्णय दिया कि बाबरी

मस्जिद के द्वारा हिंदुओं के लिए भी खोल जाए तथा उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। परंतु यह मामला केवल यही नहीं थमा इसके पश्चात् भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने की बात पर दोनों पक्षों के मध्य यह विवाद अत्यधिक संगी नहो गया।

इस विषय पर सर्वप्रथम धर्म.संसद दिल्ली में 7 अप्रैल 1984 को की गई जिसमं रामजन्मभूमि के मुद्दे को उठाया गया परिणामस्वरूप महंत अवेद्यनाथ की अध्यक्षता में श्री रामजन्म भूमि मुक्ति योग्य कमेटी का निर्माण किया गया। दूसरी धर्म संसद 31 अक्टूबर 1985 को कर्नाटक के उदुपी में की उसमें यह घोषित किया गया कि अगर एक निश्चित समय में रामजन्म भूमि को नहीं खोला गया तो अनेक संत आत्मबलिदान कर लेंगे। इस संदर्भ में अन्य घटना थी राम शिलापूजन जिसका आयोजन अक्टूबर 1989 में किया गया। इन सार्वजनिक बैठकों के पश्चात् एल. के. आडवाणी की अध्यक्षता में 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 को महत्वपूर्ण रथ यात्रा निकाली गई। इन सभी प्रकार के संदेहों को समाप्त करने हेतु तथा यह निश्चित करने के लिए कि यह विवादास्पद ढांचा मंदिर का है अथवा मस्जिद का जुलाई 1992 में उत्खनन का निर्णय लिया गया। जिससे चिन्हों को आधार बनाकर खुदाई कर यह निश्चित किया जाना था कि यह जमीन किस धर्म से संबंधित है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर 2003 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट में जाँच करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की तरह एक बड़ी संरचना बनाई गई थी जिसकी दीवारों पर भी मंदिर की तरह की चित्रकारी मिली है। इसके अलावा इस स्थान से मिले चिन्ह हिंदू धर्म के है जिसके अनुसार वहां शिव पार्वती तथा अन्य धार्मिक देवताओं की पूजा होने का आसार है। सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुन्नी वक्फबोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला के बीच विवादित क्षेत्र के तीन–तरफ़ा विभाजन का फैसला सुनाया। आंतरिक कोर्ट यार्ड, जहाँ एक बड़ा गुंबद खड़ा था, देवता के पास गया। रामचबूतरा और सीता रसोई के पास का स्थान अखाड़े में गए। मुस्लिम पक्ष को बँटवारे के दौरान और उसके आसपास अधिग्रहित भूमि के विभाजन और समायोजन के बाद अपना एक तिहाई हिस्सा लेने के लिए छोड़ दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक पक्ष से दूसरे को प्रवेश और निकास अधिकार देने की उपेक्षा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उसी स्थान पर मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय उपासना स्थल अधिनियम 1991 को लागू करे, जो भारत के स्वतंत्र होने पर सभी उपासना स्थलों को मुक्त करता है।

नवंबर 2019 में सुनवाई समाप्त होने के बाद, सुन्नी बोर्ड ने कथित तौर पर एक मध्यस्थता की पेशकश की कि यह शीर्षक के लिए दावा छोड़ देगा अगर काशी और काशी को अकेला छोड़ दिया गया था और मस्जिद को दूसरे स्थान पर फिर से बनाया गया था। हालाँकि अनेक मुस्लिम वर्ग के समूहों ने सर्वोच्च न्यायालय के मस्जिद के लिए अलग स्थान प्रदान करने तथा साक्ष्यों के आधार पर मंदिर निर्माण के निर्णय को उच्च तथा आवश्यक बतलाया है जो इसे बिना किसी तर्क के स्वीकार कर रहे हैं परंतु कुछ वर्ग इसे अनुचित कह 1993 के अधिनियम को आधार बनाकर वैकल्पिक जमीन देने की बात को अन्याय पूर्ण मान रह थे। जिसमें सर्वप्रथम नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का नाम है जिनके अनुसार यह निर्णय उचित नहीं तथा न्यायालय को 1857 से 1949 तक मस्जिद के पूजास्थल को आधार मानना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह किसी भी प्रकार की धार्मिक समुदाय के विश्वास को अधिक या कम करके आंकने का विषय नहीं है अपितु यह केवल तर्क के आधार पर लिया गया निर्णय है इसलिए इसे केवल एक निर्णय के रूप में देखा जाना चाहिए ना कि किसी प्रकार की धार्मिक सर्वोच्चता के संदर्भ में। इस विवाद का निपटारा राजनीतिक रूप से तथा सामाजिक रूप से भी आवश्यक था जो कि इस विषय में भारतीय जनता को धार्मिक विभाजन के कग़ार पर रख छोड़ा था जिससे भविष्य में इसप्रकार के हादसे शांतिपूर्ण सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होगा तथा कुछ संकीर्ण सोच के नेताओं को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर इसे भारत के विकास मार्ग में सकारात्मक पक्ष के रूप में देखना होगा।

♦♦♦♦♦

4

राम रॉफेल एवं राजनीति के संदर्भ में न्यायायिक प्रकिया

स्वीटी अंजली

सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय

भारत के संविधान की प्रमुख इकाई है न्यायपालिका, जो भारत की संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है, एवं कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है। भारतीय न्यायपालिका कानून और संविधान का पालन करने में मदद के साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। न्यायपालिका हमारे संविधान के अंतर्गत आने वाली धाराओं के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का भारत में कानून व्यवस्था को कायम रखने में मदद करती है। इसका वास्तविक कार्य सबको समान रूप से न्याय सुनिश्चित कराना है। जैसा कि अभी हाल ही में आए कुछ मुद्दे जिस पर न्यायालय ने अहल फैसलों को को सुनाया है। इन मुख्य मुद्दो में अयोध्या के राम मंदिर समझौते सबसें3 अधिक विवाद में वर्षो से चला आ रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का पुराना इतिहास देखा जाए तो यह लगभग 500 साल पुराने 1528 ई. से 1530 ई. के आसपास की है। जिसके अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में एक टीले पर बनी मस्जिद पर जो शिलालेख मिले हैं, जिसका आधार मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर बाकी द्वारा बनवाई गई मस्जिद थी।

लेकिन इस जमीन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिले, जो इस शिलालेख और प्राप्त दस्तावेजों को संपूर्ण साबित करती हो। दूसरी तरफ कि धारणा यह है कि जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ उस समय जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज अधिकार क्षेत्र में थे, जिन्हें बाबर की सेनाओं ने कई षड्यंत्र से अपने कब्जे में लिया तब से लेकर गत कई वर्षों तक अयोध्या नगरी में लाखों करोड़ों हिंदुओं और मुस्लिमों के आपसी संघर्ष में अयोध्या के भूमि निरंतर रक्त रंजित होती रही है जिसके लिए विगत वर्षों में हुए महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पर दृष्टि डाली जाए तो1857 में नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश का शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा में डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मध्यस्थ बनाने की अनुमति मांगी मगर मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण अर्जी नामंजूर हो गई।

डिप्टी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के 10 अक्टूबर 1949 को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद के बगल में जो छोटा सा पराशर है वहां हिंदू के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार के प्रति इससे पहले ही कब्जे को पुख्ता देने के लिए अतिरिक्त डिप्टी मजिस्ट्रेट मारकंडेय सिंह ने यह कहते हुए विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इमारत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत दर्ज कर लिया। उनका विचार था कि ऐसे हिंदू मुसलमानों के झगड़े से देश की शांति भंग हो सकती है। न्यायपालिका चेयरमैन संयोजक राम को रिसीवर नियुक्त कर उन्हें मूर्तियों की जिम्मेदारी दी गई। संदर्भ में नेहरू ने गृह मंत्री पटेल को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी प्रकट की। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद में सिविल जज की अदालत में सरकार जहूर अहमद और अन्य मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्रीराम और अन्य देवताओं की मूर्तियों को हटाया नाजाए पूजा करने की इजाजत दी जाए सिविल जज ने उसी दिन के आदेश जारी कर दिए जिसे बाद में मामूली संशोधनों के साथ जिला झज्जर हाई कोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया।

इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिसमें नए जिला मजिस्ट्रेट गुगरा ने सिविल कोर्ट में अपने पहले हलफनामे में कहा कि विवादित संपत्ति बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती और मुसलमान लंबे समय से इसे नमाज के लिए इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कई साल बाद 1961 से 1989 मं चौथा मुकदमा दायर हुआ चारों मुकदम एक साथ जोड़कर का सुनवाई होने लगी। 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजीव गांधी की हत्या की गई और उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव में भाजपा के कल्याण सिंह सरकार ने मस्जिद के सामने 277 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित कर दिया तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन पर अस्थाई निर्माण नहीं होगा फिर भी जुलाई में निर्माण कार्य शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य रुकवा दिया। दिसंबर 1993 में कारसेवा का ऐलान हुआ। 1993 में केंद्र सरकार ने इस मसले के समाधान के लिए विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिकृत कर उसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर किया गया था या नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया कि वह मस्जिद के पहले कोई हिंदू मंदिर था सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमा को भी बाहर कर दिया, जिससे दोनों पक्ष इस न्याय की बात को निपटा सके। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से खुदाई करवाई और वहां राम मंदिर होने का दावा किया लंबी सुनवाई गवाही और दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार

पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया विवादित जमीन के तीन विषय भगवान राम, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बाँट दिया जिससे सभी पक्षकारों ने नकार दिया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 50 से एकमात्र होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थान मानते हुए फैसला लिया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार ने दिया सरकार ने यह फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार माना। इस प्रकार अयोध्या का एक राजनैतिक ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद का सराहनीय फैसला किया गया जहां तमाम तरह की राजनीतिक हिंसा धीमी पड़ी अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई वहीं दूसरी ओर भी इसी प्रकार के विवादों के घेरे में था।

10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति राफेल डील का एलान करते हैं। 25 मार्च 2015 को राफेल विमान बनाने वाली कंपनी 'दासो एविएशन' के सीईओ मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन का जिक्र करते हैं, जो कि एक सरकारी कंपनी है। जिसमें एचएल की जगह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री और यशवंत सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि 60 साल को अनुभवी कंपनी एचएल को इस सौदे से बाहर कर दिया जाता है और उसके सथान पर ऐसी कंपनी से सौदा होता है जिसका इस डील में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। यह कंपनी रिलायंस डिफेंस पहले से घाटे में चल रही थी और उनका अनुभव भी इस क्षेत्र में नहीं था वहीं भारतीय सेना ने अपनी जरूरत 18 विमान की बताई थी, भारतीय सेना की तरफ से 18 की जगह 36 की कोई बात हुई थी यह प्रश्न का विषय है?

जब मीडिया संबंधित प्रश्न रक्षा मंत्री से करते हैं तो तत्कालीन रक्षा मंत्री सीतारमण गोपनीयता की बात करते उनकी तरफ से अनभिज्ञता प्रकट करती है। दूसरी तरफ रिलायंस डिफेंस का अनिल अंबानी को अब तक हुए 50 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्फ्रेंस की पूरी प्रक्रिया का पता होता है जो कि रक्षा मंत्रालय की जानकारी में होनी चाहिए थी। उस समय गोपनीयता के मुद्दे क्यों नहीं होते हैं, क्या अभी यह प्रश्न का विषय है? तमाम विवादों के बावजूद 14 दिसंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी. के समूह सदस्य खंडपीठ ने सर्वसम्मति से इस सौदे को मंजूरी दे दी।

आशीष चौधरी के खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के लिए 58000 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत है 36 राफेल विमान खरीदने के लिए। दोनों देशों की सरकार के बीच सरकारी समझौता हुआ था। पीठ म कहा इस संवेदनशील मामले को न्यायालय द्वारा हजम करने की कोई कारण नजर नहीं आता। भारतीय वायुसेना को उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है, और देश के प्रतिद्वंदी के पास यहाँ से उत्तम किस्म के विमान मौजूद हैं। पीठ में इसकी प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है, और विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं है। पीठ म यह भी कहा कि विमानों की कीमतों के विवरण की तुलना करना न्यायालय का काम नहीं है। ऐसी सामग्री को अपने तक ही सीमित रखना है। याचिका में किसी एक पक्ष को व्यावसायिक लाभ पहुँचाने की बात की गई थी जिसे पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। यथा संपूर्ण विवादित राफेल विवाद जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सरकारी समीकरण कुछ प्रश्न छोड़ जाते हैं। जबकि विमान की सेना के मांग से दोगुने विमान की खरीद–फरोख्त होती है। उसका कोई कहीं कोई ब्योरा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलायंस डिफेंस सरकारी ऑफसेट शोधन का जिक्र करते हैं, जिससे उच्च न्यायालय और रक्षामंत्री गोपनीयता की बात कहते हुए खारिज कर देते हैं। कहीं ना कहीं पूरे विवाद में या इस सौदे में राजनीति तो जरूर हुई है। एक और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले की सराहनीय काय तो दूसरी तरफ राफेल सौदे में सीबीआई जांच की मांग को खारिज करना निस्संदेह एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जाता है।

♦♦♦♦♦

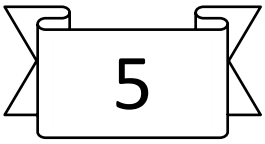

रॉफेल और राम मंदिरः लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

वर्षा तोमर

अंग्रेजी विभाग, कोटा विश्वविद्यालय

वर्ष 2019 में राम मंदिर राफेल सौदा और राहुल गांधी– ये तीनों प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति कुंडली में एक साथ बैठे दिखाई दिए हैं। राम मंदिर और राफेल सौदा और राहुल गांधी तीनों 'परस्पर विरोधी ग्रह रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित था,तो वहीं राफेल सौद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है का नारा बुलंदी से लगाया जा रहा था। राहुल गांधी पिछले एक डेढ़ वर्ष से राजनेता के रूप में उभरे हैं। ऐसे में राम मंदिर आफ एल्डिन और राहुल गांधी तीनों ने फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रखी थी। भारतीय जनता पार्टी आज जिस भव्य स्वरूप और राजनीतिक हैसियत में उपस्थित है इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के मुद्दा का ही रहा है। भाजपा राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग करती रही है। जिस पर ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया था आज केंद्रीय और राज्य दोनो स्तरों में भाजपा की सरकार है। भाजपा के सामने एक तरफ देश की उस जनता की जनसंख्या थी जिसने उसे राम मंदिर मुद्दे पर समर्थन में वोट दिए। तो दूसरी तरफ है यह मुद्धा सुप्रीम कोर्ट मे लंबे समय से लंबित था अर्थात इस मुद्दे पर भाजपा की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली थी। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर फैसला पूरे हिंदू समाज को निराशा अंधेरे से निकालने वाला था।

हिंदू समाज के लिए यह मुद्दा जमीन के टुकड़े का नहीं है बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। राम किसी एक धर्म के नहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधार है। राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए पावन स्थान है, उसे हिंदुओं को लौटा कर किसी से कुछ छीना नहीं गया बल्कि इतिहास ही एक गलती को सुधारा गया है जो बहुत साल पहले ही हुई थी। 1934 में अयोध्या में हुए दंगो में विवादित ढांचे के कुवत को नुकसान पहुंचेगा। प्रशासन ने उसकी मरम्मत का पैसा हिंदुओं से यह कह कर वसूला की यह तोड़फोड़ के अपराध की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में माना कि विवादित ढांचे के ध्वंस के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले से ही मुस्लिम पक्ष को यह हक मिला कि वह यह

देख सके कि रामजन्म के स्थान पर यथास्थिति में कोई बदलाव तो नहीं आया है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय सभ्यता के रक्षा की दिशा में हुआ जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला भारतवासियों को एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर देता है। यहां बात धर्म के साथ लोकतंत्र और न्याय की थी वहीं द्सरी ओर बात लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ी थी। यह लोकतंत्र जो जनता के द्वारा बनता है। और इस जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राफेल के मुद्दें अपनी गरमाहट की राजनीति में सिक रहे थे।

भारत और फ्रांस सरकार के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। यहां भी राजनीति की षड्यंत्र में कांग्रेसी दल द्वारा मादी सरकार को घेरने की प्रयास किया जा रहा था। राहुल गांधी ने 11 अक्टूबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्ट कहते हुए तर्क दिया था। राफेल लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच सितंबर 2016 में हुई थी। इस अनुबंध के अनुसार हमारी वायु सेना को 36 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे। यह सौदा 7.8 करोड़ यूरो(करीब 58,000 करोड रुपए) का है उसका नाम है कि यूपीए सरकार के दौरान 1 राफेल विमान की कीमत 600 करोड़ रुपए तय की गई थी।मोदी सरकार के दौरान एक राफेल करीब 16 सौ करोड़ रुपए का पड़ेगा।

भारत को पहला राफेल विमान सितंबर 2019 को मिला। पहला राफेल जेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह न 8 अक्टूबर को फ्रांस स्थित एयर बेस पर हासिल किया था। मई वर्ष 2020 तक राफेल जेट की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। भारत ने फ्रांस से 3 राफेल जेट उपलब्ध करा लिए थे। यह अभी फ्रांस में ही है, और इनका प्रयोग भारतीय वायुसेना के पायलटो के प्रशिक्षण में किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर राफेल विमान सौदें में सरकार को क्लीन चिट दने तक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ये फैसलें ऐतिहासिक रहे हैं। इस प्रकार मोदी सरकार के लिए यह दो फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लोकसभा चनाव में राहुल गांधी झारखंड की हर रैली में राफेल अनुबंध को मुद्दा बनाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को क्लीन चिट देने के बाद यह विवाद भी साफ हो गया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत जैसे संस्कृतियों से भरपूर और पूर्ण है उसी प्रकार यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश भी है। जो आम आदमी को वोट देने का और सरकार का चुनाव करने का अधिकार देती है। जिसकी कुछ कमियां दलों में देखने को मिलती रही है जिसकी सबसे बड़ी कमी भ्रष्टचार और धर्म की राजनीति रही है यह दोनों ही मुद्दे ऐसे मुद्दे है

जो भारत को विकास की ओर अग्रसर होने मं आगे नहीं आने देते। और जो इस विकास के लिए कार्य करना चाहते है उन्हे करने नहीं देते जिसमें अहम् भूमिका राजनीतिक दलों की रहती है। क्योंकि भारत में यह शुरू से ही भ्रष्ट राजनेताओं से ग्रसित रही है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में सरकार चलाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का मानदंड नहीं है। यह विडंबना है कि राष्ट्र ने कई ऐसे क्षेत्र और गैर योग्य उम्मीदवारों को पैसे और ताकत के आधार पर विशुद्ध रूप से उच्च शक्तिशाली स्तर तक देखा है। हमारे देश के विकास के लिए शिक्षित नेताओं का चुनाव करने की आवश्यकता है अधिकांश राजनेता भ्रष्ट है वह अपने देश की सेवा करने के बजाए अपने हितों के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।

भारत एक राष्ट्र के रूप में तभी समृद्ध हो सकता है जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार हो हमें शिक्षित और कड़ी मेहनत करने वाले राजनेताओं की जरूरत है जो देश की भलाई के लिए काम करते हो ना कि व्यक्तिगत भलाई के लिए।

♦♦♦♦♦

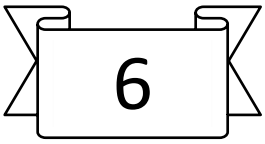

राजनीति में राम–राफेल

शुभम

तकनीकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2019 का आम चुनाव कुछ महत्वूर्ण मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन यह कुछ बेहद राजनीतिक मुद्दों का चुनाव बनके रह गया जिसमें राम ओर राफेल सर्वप्रथम है। राम मंदिर का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने की घोषणा की। लेकिन इस आग में घी डालने का काम वर्ष 1992 में हुआ जब कुछ सेवकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया जिसके पीछे राजनीतिक पार्टी का भी राजनीतिक स्वार्थ छिपा था। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने 2015 के आम चुनाव लड़े। भाजपा का कहना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम जन्मभूमि है, जिसके ऊपर मीर बाकी ने 1528–29 ई० मं मस्जिद में बनवाई थी। हालांकि अब ये बात उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्ध कर दी गई है कि वह भूमि मंदिर की थी जिसके साक्ष्य भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा न्यायालय मं प्रस्तुत किए गए। वास्तव में वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था।

2015 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था, कि यदि वो सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। 2019 के घोषणा पत्र में भी यही वादा दोहराया गया। यथाथ रूप से करोड़ों हिन्दू भारतीयों की आस्था भगवान राम में है, इसलिए भाजपा ने यह मुद्दा काफी उठाया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपना ये वादा भी भली–भांति निभाया। 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने अपना पक्ष सुनाया कि वहाँ पर मंदिर ही बनाया जाएगा। करोडों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भगवान राम के मंदिर के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करें और भाजपा ने 2019 में फिर एक बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय संविधान की एक बेहतरीन झलक दिखाता है। जिस तरीके से भाजपा ने यह मुद्दा लड़ा इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में संविधान से बढ़कर और कुछ नहीं है भाजपा इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में लड़ने गई एक देश जिसमें 80 फ़ीसदी हिंदू रहते हो और केवल 18 से 19 फ़ीसदी मुसलमान हो उस देश में हिंदू पक्ष को अपना मंदिर बनवाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और सभी पक्षों ने इस फैसले का

स्वागत किया ता यह साबित हो गया कि वास्तविक रूप में भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। राजनीति और एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए विपक्ष का पक्ष जानना भी काफी महत्वपूर्ण है। 2019 के उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को तूल नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर सिद्ध करती आई है। परंतु जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तब कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार किया लेकिन कांग्रेस का रुख हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 1989 में राजीव गांधी ने यह वादा किया था कि वह राम जन्मभूमि का शिलान्यास करवाएंगे जिससे कांग्रेस को 1989 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहद कम सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को वोट देने वाले लोग धमनिरपेक्ष की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यह मुद्दा कांग्रेस के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाया परंतु भाजपा का जो वोट बैंक है वह अतिवादी प्रकार का है। ज्यादातर हिंदू उच्च जाति के लोग भाजपा को वोट देते आए हैं इसलिए यह मुद्दा भाजपा के लिए काफी कारगर साबित हुआ। वहीं इस प्रकार की राजनीति का एक पहलू समाप्त नहीं हुआ था कि दूसरा मुद्दा तूल पकड़ गया वह मुद्दा जो भारतीय सुरक्षा से संबंधित था अर्थात रॉफेल।

2019 के आम चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बना था राफेल विमान का सौदा। राफेल विमान एक फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एवियशन का विमान है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय का सौदा है, जिसके अंतर्गत 36 राफेल विमान खरीदे जाने तय हुए थे। विपक्ष ने यह मुद्दा जोर–शोर से उठाया क्योंकि विपक्ष का कहना है की असल सौदा 126 राफेल विमानों के लिए हुआ था, तो यह संख्या 126 से घटाकर 36 पर क्यों कर दी गई। उसक लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। असल में यह सौदा मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 31 जनवरी 2012 को 126 विमानों के लिए किया था, जिसमें तय हुआ था कि डसॉल्ट एवियशन 18 पूर्ण रूप से संचालित विमान और अन्य 108 विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किए जाएंगे। इस सौदे की कुल कीमत 186000 करोड़ों तय गई थी। परंतु यह सौदा 2015 तक भी नहीं हो पाया था। जिसका कारण वित्तीय आवंटन की कमी बताया गया। इसी बीच 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की और भाजपा की सरकार बन गई। अप्रैल 2015 में भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, कि भारत 36 पूर्ण संचालित राफेल विमानों को ही खरीदेगा। सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस की सरकारों ने 36 राफेल विमान का एग्रीमेंट साइन किया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यह कहा कि प्रत्येक विमान की कीमत 715 करोड़ से बढ़ाकर 1600 करोड़ क्यों कर दी गई है। लेकिन भारत सरकार रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन भ्रष्टाचार के आरोपों को नकार दिया। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी यह कहा कि 126

विमान बिना आधुनिक उपकरणों के लिए जा रहे थे, और यह 36 विमान अधिक आधुनिक उपकरणों से लैस लिए जा रहे हैं, जिनमें बहुत फर्क है। फ्रेंच सरकार ने भी इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। 2017 में कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को नकारा जा रहा है और अनिल अंबानी की भूमिका पर भी उन्होंने शक जाहिर किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वह यह सौदा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के हाथों से लेकर रिलायंस को देना चाहते हैं, परंतु अनिल अंबानी ने इन सारे आरोपों को नकार दिया। अंत में कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय में रिट पिटिशन दायर की परंतु उच्चतम न्यायालय ने सभी पिटीशन को नकार दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि उसे इस सौदे में कोई भी गलती या भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं दिखाई देती।

यह दो महत्वपूर्ण मुद्दे 2019 के आम चुनाव में बहुत जोर शोर से चले और दोनों ही मुद्दों में भाजपा ने जीत हासिल की और अंत में वह 2019 का चुनाव भी जीत गई परंतु इन मुद्दों से देश की न्यायालय प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास और शक्तिशाली रूप में स्थापित हो गया है। देश का कोई भी मुद्दा या कोई भी दल संविधान से बढ़कर नहीं हो सकता यह दोनों मुद्दे भारत के संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करते है न कि किसी व्यक्ति विशेष को। जिसके निर्णय हमेशा धर्मनिरेपक्ष व लोकतांत्रिक रहे हैं।

♦♦♦♦♦

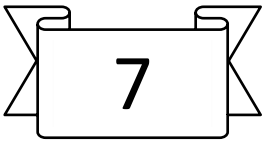

राजनीति में विमानः आरोप और प्रत्यारोप

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की सरकार के लिए वर्ष 2019 विकासात्मक और अवसरपूर्ण रहा है जिसका कारण अभी हाल हो में भारत सरकार भाजपा ने वर्षो से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है जिसमें कुछ विवाद इस पकार है–तीन तलाक, अयोध्या विवाद, जम्मू कश्मीर, राफेल इत्यादि। इन सभी मुद्धो में राफेल मुद्दा अपने आप में ही विशेष रूप लिए है। क्योंकि यह मुद्दा भारत की सुरक्षा सं संबंधित है और स़रक्षा के तहत भी भारत की राजनीति ने इसे भी अपन अंधेरे भरे कमरे में खोंचने का प्रयास किया परंतु यह प्रयास असफल रहा। अप्रैल 2015 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की थी कि भारत, फ्रांसीसी विमान निर्माता और इंटीग्रेटर डसॉल्ट से 36 फ्रेंच निर्मित राफेल लड़ाकू जेट खरीदे जाएंगे। राफेल को 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस से प्रतिद्वंद्वी प्रस्तावां पर चुना गया था। भारत के युद्ध बेड़े को उन्नत करने के लिए एक कठोर कदम की आवश्यकता थी। मूल योजना यह थी कि भारत फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से 18 ऑफ–द–शेल्फ जेट खरीदेगा, जिसमें 108 अन्य को भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या बेगलुरु में एच.ए.एल द्वारा एकत्र किया जाएगा।

हालांकि, भाजपा सरकार ने 126 राफेल खरीदने की अंतिम यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता से पीछे हटते हुए कहा कि जुड़वाँ विमान बहुत महंगे होंगे और भारत और फ्रांस के बीच लगभग एक दशक तक चली बातचीत के बाद यह सौदा गिर गया। विमान की लागत पर बहुत अधिक रूकावटें थी। हालांकि, लड़ाकू विमानों की बढ़ती संख्या और भारतीय वायु सेना को उन्नत करने के लिए एक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और डसाल्ट से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और इसे बनाने के बजाय 36 तैयार–टू–फ्लाई सेनानियों को खरीदने का फैसला किया। सौदा घोषित होने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा पर बहु–अरब डॉलर के अनुबंध में गैर–पारदर्शिता का आरोप लगाया और इसे 'मेक–इन–इंडिया' कार्यक्रम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक कहा। जनवरी 2016 में, भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा अनुबंध में 36 राफेल जेट के आदेश की पुष्टि की और इस अनुबंध के

तहत, डसाल्ट और उसके मुख्य साझेदार – इंजन निर्माता सफरान और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निर्माता थेल्स – डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास) के साथ कुछ आर कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों और एचएएस ऑफसेट क्लॉज के तहत संगठन प्रौद्योगिकी साझा करेंगे।

राफेल लड़ाकू विमान अनुबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तीन प्रकार मुद्दो शामिल थे–

1. अनुबंध में निर्णय लेने की प्रकिया।
2. अनुबंध के लिए कीमत।
3. ऑफसेट साझेदार बनाने का मुद्दा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में विमान की प्रकिया पर निर्णय–

1. निर्णय लेने की प्रकिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
2. अदालत की ओर से जाँच की कोई आवयश्कता नहीं।
3. सौदा देश के लिए एक वित्तीय लाभ है।
4. यह रक्षा खरीद से जुड़ा करार है, जहाँ न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।
5. अनुबंध में प्रकियाओं का पालन किया जाएगा।
6. विमान की जरूरत पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।
7. विमानों की गुणवत्ता, सवालों के घेरे में नहीं है।

राफेल के चुनाव की विशेषताएं–ट्विन–इंजन राफेल कॉम्बेट जेट को शुरू से ही हवा से हवा, और हवा से जमीन पर हमला करने के लिए मल्टी–रोल फाइटर के रूप में तैयार किया गया है, जो परमाणु–सक्षम है और इसका ऑन–बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी टोही और रडार जैमिंग जैसी भूमिकाएँ अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस की यात्रा के अंतराल प्रस्ताव की घोषणा के लगभग डेढ़ वर्ष बाद, अंत में सितंबर 2016 में, (भारत ने) फ्रांस के साथ एक अंतर–सरकारो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'राफेल अनुबंध' के रूप में करार दिया गया, जिसमें भारत ने लगभग 36 ऑफ–द–शेल्फ डसॉल्ट राफेल ट्विन–इंजन लड़ाकू विमानों के लिए 58,000 करोड़ या 7.8 बिलियन यूरो लागत का अंदेशा जताया। इस लागत का लगभग 15 प्रतिशत अगिम भुगतान किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार, भारत को पुर्जों और हथियारों की भी बिक्री होगी, जिसमें उल्का मिसाइल भी शामिल है, जिसे दुनिया में सबसे उन्नत माना जाता है। हालांकि नवंबर 2016 में, राफेल अनुबंध पर एक राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस ने सरकार पर 58,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके करदाताओं के पैसे का अपमानजनक नुकसान पैदा करने का आरोप लगाया। यह भी दावा किया गया कि अनिल अंबानी

की अगुवाई वाली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को फ्रेंच फर्म के भारतीय भागीदार होने के लिए गलत तरीके से चुना गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रत्येक विमान की लागत 2012 में फ्रांस के साथ पिछली यूपीए सरकार की बातचीत की तुलना में तीन गुना अधिक है। सरकार के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने दावों का पलटते हुए कहा कि पूर्ववर्ती यू.पी.ए. सरकार द्वारा किए गए अनुबंध की तुलना में पुनर्निवेशित अनुबंध पारदर्शी और बेहतर था क्योंकि इसमें एक बेहतर तकनीकी पैकेज और लॉजिस्टिक समर्थन शामिल है, जो कि पहले अनुपस्थित था। रिलायंस डिफेंस ने यह भी कहा था कि उसकी सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर एंड डसॉल्ट एविएशन ने दो निजी कंपनियों के बीच एक द्विपक्षीय अनुबंध के बाद एक संयुक्त उद्यम – डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस का गठन किया और भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

हालांकि, कांग्रेस ने कथित अनियमितताओं पर राफेल अनुबंध के तालिका विवरण से इनकार करने के लिए सरकार पर अपना विरोध जारी रखा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह के शुरू में संसद को बताया कि राफेल लड़ाकू जेट विमानों के लिए फ्रांस के साथ अनुबंध के विवरण का अंतर–सरकारी अनुबंध के अनुसार खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वर्गीकृत जानकारी है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण, राफेल अनुबंध में एक गोपनीयता का खंड है जो खरीदार और विक्रेता को मूल्य निर्धारण के बारे में बात करने से रोकता है, जिससे किसी भी सरकार के लिए रक्षा सौदों के बारे में कोई भी विवरण प्रकट करना असंभव हो जाता है।

निष्कर्ष– अतः कहा जा सकता है भारत की सरकार और न्यायालय दोनों ने ही अपनी भूमिका को सही ढ़ंग से निभाते हुए भारत की विविधताओं और भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता के पक्ष में फैंसलों को मान्यता दी है और इस विविधता और भिन्नता को कायम रखने वाले सैनिकों और उनको मजबूत करने के लिए उनकी राफेल जैसे विमानो को महत्व प्रदान किया है। जिस पर किसी भी प्रकार की राजनीति अपना दलदल बनाकर लोकतंत्र और लोकतंत्र की सुरक्षा में बाधा नहीं बन सकती।

♦♦♦♦♦

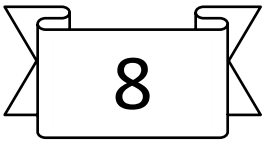

8

सबरीमाला मंदिर एवं महिला प्रवेशाधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं के प्रवेश के निर्णय को पुनः समीक्षा हेतु सात न्यायधीशों की पीठ को सौंपने का निर्देश दिया। पिछली पीठ ने 3–2 के बहुमत से महिलाओं का मंदिर में प्रवेश के अधिकार का निर्णय दिया था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया था कि अन्य विषय जैसे कि महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश, पारसी महिलाओं का उनके धार्मिक स्थल में प्रवेश आदि सभी याचिकाओं में धार्मिक भावना का प्रश्न होने से इन सभी विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देना आवश्यक है। सबरीमाला मंदिर का विषय यह देखने के लिए भी अति महत्वपूर्ण बन गया है कि आस्था व विश्वास को प्राथमिकता दी जाए या संविधान में प्रदत्त मूल–अधिकारों को, हमारे संविधान का अनुच्छेद–15(1), जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, संप्रदाय, उम्र, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अतः देश का संविधान सभी नागरिकों को समानता व न्याय का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार सभी को, अर्थात महिला नागरिक हो या पुरुष, दोनों को समान रूप से दिया गया है। और यह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी सभी धर्मों के नागरिकों को दिया गया है। दुख इस बात का है कि हमारे देश में मजहब या धर्म के नाम पर महिलाओं के प्रति अन्याय व भेदभाव की प्रवृत्ति चली आ रही है। पुरुषवादी समाज ने धर्म को महिलाओं के विरुद्ध एक ऐसा साधन बना दिया है, जो इच्छा–स्वरूप प्रयोग में लाया जा सकता है।

इसी पुरुष प्रधानता के कारण हमारे देश के विभिन्न समदायो में पुरुषों ने स्वयं को महिलाओं से उच्चतर मानकर सदियों से भिन्न–भिन्न प्रकार के रीति–रिवाज बना रखे हैं। यही कारण है कि हाजी अली दरगाह हो या शनि मंदिर, सबरीमाला हो या पारसी टावर ऑफ साइलेंस, महिलाओं के प्रवेश पर इच्छा–स्वरूप प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा–घर व धार्मिक स्थानों को चलाने वाले ट्रस्ट एंव संस्थानों में पुरुषों का वर्चस्व होता है। यदि कोई महिला हो

भी तो उसकी आवाज में अधिक शक्ति नहीं होती। धर्मगुरु हो या मौलवी, पादरी हो या पंडित अधिकतर धार्मिक–वर्ग के कर्ता–धर्ता पुरुष ही होते हैं। हालांकि धरती पर जन्म माँ देती है, अपितु सभी धर्मों में ईश्वर की परिकल्पना पुरुष के रूप में ही की जाती है। ऐसी स्थितियों में प्रत्येक धर्म में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न–स्तरीय होनी स्वाभाविक ही है। न्यायालय एवं कानून द्वारा ही समाज के प्रतिबंधों से सामान्य लोगों को मुक्ति मिल सकती है, व मिलती आई है। सती प्रथा, दहेज प्रथा एंव घरेलू हिंसा आदि सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध देश में कानून बनाए गए है और इस प्रकार की आशा सर्वोच्च न्यायालय से ही की जा सकती है।

दूसरी ओर, पितृसत्तात्मक सोच वाले धर्मगुरु या धर्मों के मठाधीश पुरुष वर्ग से तो वैसे भी आशा नहीं की जा सकती है। क्या वास्तविकता में बात मजहब की है या मजहब के स्वरूप में पुरुष वर्चस्व को आगे किया जा रहा है? यह तो सब जानते है कि ईश्वर या अल्लाह, भगवान या गॉड ने इस सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि में मानव प्रजाति एवं अन्य जीव बनाए। ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। महिला व पुरुष दोनों को समान रूप में बनाया है। इसलिए अधिकतर मान्यताएँ अपने–अपने दौर के सामाजिक मान्यताओं व रूढ़ियों पर आधारित होती है। विश्व में अनेकों समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद करना आरंभ कर दिया। और धीरे–धीरे समाज में पुरुषों व पुरुष–वादी धार्मिक संस्थानों ने मिलकर महिलाओं का स्थान निर्धारित किया, अपितु महिलाओं की भूमिका की सीमाओं को भी निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार महिलाओं को घर में, समाज में व देश में प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव के दृष्टिकोण से देखा गया। महिलाओं क शरीर एवं जैविक वास्तविकताओं के आधार पर महिलाओं को अशुद्ध घोषित कर दिया गया। धर्मगुरु पुरुष ही हो सकते है। और फिर महिलाओं को मंदिर–मस्जिद में सीमित प्रवेश भी मिल सकते हैं। धर्म के नाम पर महिला विरोधी किस्से, कहानियाँ, विधियाँ व रीति–रिवाज आदि सदियों से प्रचलित हुए है। देश में सभी धर्मों की यही स्थिति है।

21वीं शताब्दी के इंटरनेट के युग में ऐसी ही स्थिति रही और संविधान की अवमानना हो तो क्या सर्वोच्च न्यायालय मौन रह सकता है। यह भी वास्तविक तथ्य है कि पंथनिरपेक्षता संविधान की आधारिक परिस्थिति है, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न धार्मिक विषयों में निर्णय दिए है। अतः आज विज्ञान के युग में उन विश्वासों को नए तथ्यों के आधार पर अन्वेषित करने की आवश्यकता है, ताकि वे अन्याय व भेदभाव को प्रश्रय नहीं दे रहे हो। दुख इस बात का है कि संविधान में महिलाओं के समान अधिकारों के बावजूद व धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के

बावजूद भी ऐसी स्थितियाँ सामने आती ही रहती है। यदि व्यवहार के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहे तो न्यायालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? और यदि महिलाओं के अंतरात्मा उन्हें कह रही हो कि मैं हाजी अली दरगाह में जाना चाहती हूँ, या शनि मंदिर के गर्भग्रह में जाकर पूजा करना चाहती हूँ, तो उन्हें प्रवेश न देना क्या उनके धार्मिक अधिकार का हनन नहीं होगा? और यदि किसी पुरुष के धार्मिक अधिकार से निरंतर महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना होती रहे तो क्या यह सही है?

स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पुरुषों ने अपनी सोच के आधार पर ईश्वर या अल्लाह को ढाल दिया है। अर्थात अपनी सोच के अनुरूप ईश्वर की परिकल्पना को निर्धारित कर रखा ह। अधिकतर महिलाएं घर में ही पूजा–पाठ करके संतुष्ट है, अपितु सभी धर्मों की कुछ महिलाओं ने इस अन्याय के विरुद्ध कानूनी एवं सामाजिक अभियान चला रखा है। अतः कानून में परिवर्तन होगा तो धीरे–धीरे समाज में भी परिवर्तन होगा। तात्कालिक तीन तलाक, हाजी अली एंव सबरीमाला विषयों पर न्यायालयों ने सही ठहराया है कि महिलाओं की समानता को धार्मिक प्रथाओं के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता है। जिस प्रकार जाति के आधार पर मंदिरों में प्रवेश करने के लिए यह असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण है, उसी प्रकार यह लिंग के आधार पर भेदभाव करने के समान है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का यह निर्णय पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानून स्वयं में समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, किन्तु समानता के लिए भविष्य में प्रगति की दिशा में एक बड़ा व महत्वपूर्ण कदम है।

♦♦♦♦♦

9

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी राजनीति के रूप में राफेल विवाद

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्ष 2019 भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीतियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय ने भारतीय राजनीति में बहुत से परिवर्तनों को उत्पन्न किया है। साथ ही विपक्ष की चुनावी रणनीतियों पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया है। जिसका प्रारम्भ अनुच्छेद 370 और तीन तलाक़ की समाप्ति से हुआ। इसी क साथ वर्ष 2019 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि के समर्थन में निर्णय दिया और राफेल डील को लेकर भाजपा पर लगे आरोपों को खारिज किया। परन्तु 2019 चुनावों से पूर्व यह सभी विषय मात्र विषय नहीं थे अपितु ये विवाद और आरोपों से सम्बधित मुद्दे थे। जिनमे सबस अधिक चर्चा में रहने वाले मुद्दे– राम मंदिर और राफेल डील थे। वर्ष 2018–19 में राम मंदिर और राफेल डील का विषय चुनावी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इस लेख में मुख्यतः राफेल डील से जुड़े विषयों का मूल्यांकन सम्मिलित है।

राफेल समझौते का प्रारम्भ एवं उद्देश्य

राफेल एक ट्विन–इंजन मध्यम मल्टी–रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय वायुसेना से विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने मल्टी–रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने तकनीकी और उड़ान का मूल्यांकन किया तथा 2011 में, घोषणा की कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून ने उनके मानदंडों को पूरा किया था। राफेल को 2012 में एल –1 बोलीदाता घोषित किया गया था और अनुबंध निर्माता, डसॉल्ट एविएशन के साथ उसी वर्ष अनुबंध शुरू हुआ था। आरएफपी अनुपालन और लागत संबंधी मुद्दों की विभिन्न शर्तों पर समझौते की कमी के कारण 2014 में 2 साल बाद भी अनुबंध वार्ता अपरिपूर्ण रही। परिणामस्वरूप कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तहत कोई समझौता नहीं हुआ। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण दोनों पक्षों के बीच चिंता का प्राथमिक विषय बना रहा। डसॉल्ट एविएशन भी भारत में 108 विमानों के उत्पादन

की गुणवत्ता नियंत्रण का दायित्व लेने को तैयार नहीं था। जबकि डसॉल्ट ने भारत में विमान के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटे का प्रावधान किया था, जिससे लागत में कई गुना वृद्धि होती गई।

यूपीए सरकार द्वारा किए गए समझौते की कीमत 12 बिलियन डॉलर थी। इसमें 126 राफेल लड़ाकू विमान शामिल थे। डसॉल्ट भारतीय फर्मों के साथ 50ः ऑफसेट निवेश करने को तैयार थी। हथियार पैकेज, प्रशिक्षण लागत और आपूर्ति का कोई उल्लेख नहीं था। यूपीए सरकार को हथियारों और आपूर्ति के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ सकता था। 2014 में, भारतीय आम चुनावों में, यूपीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से हार गया। समझौता पुनः प्रारम्भ हुआ और पुनः उसी बिंदु पर अटक गया, डसॉल्ट ने एचएएल में इकट्ठे हुए लड़ाकू विमानों की गारंटी लेने की इच्छा नहीं जताई। गतिरोध को हटाने के लिए, भारतीय सरकार ने अब एनडीए के नेतृत्व में, एमएमआरसीए टेंडर को रद्द कर दिया और 36 राफेल को शेल्फ से खरीद लिया, जिसकी गारंटी पूरी तरह से डसॉल्ट ने स्वीकार कर ली। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी कीमत 7.87 अरब डॉलर है।
उसमे समाविष्ट हैं–

1. 36 राफेल लड़ाकू विमान।
2. एमआईसीए मिसाइल।
3. मेटेओर मिसाइलें।
4. पूर्ण हथियार पैकेज।
5. प्रदर्शन–आधारित सैन्य–तंत्र।
6. 14 भारत–विशिष्ट संवर्द्धन और संबद्ध आपूर्ति।

यह समझौता 50 प्रतिशत ऑफसेट क्लॉज के साथ आता है जिसका अर्थ है कि डासॉल्ट डील मूल्य का 50 प्रतिशत निवेश करेगा अर्थात रिलायंस डिफेंस के साथ संयुक्त उद्यम में डसॉल्ट लगभग 3.9 बिलियन डॉलर देगा। राफेल के कुछ हिस्सों का उत्पादन करने के लिए एक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना नागपुर में रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा की जाएगी। जिसके पश्चात कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने करदाताओं के पैसे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की उम्मीद को धोखा दिया है। क्योंकि 2012 के समझौते की तुलना में 2016 में किया गया समझौता 3 गुना बढ़ गया है। साथ ही कांग्रेस ने इस डील को अनिल अंबानी जैस निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने वाली डील बताया है।

राफेल विवाद एवं न्यायालय की भूमिका

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने माँग की कि सरकार को राफेल की मूल्य का स्पष्टीकरण करना होगा। सरकार ने यह कहते हुए मांग को खारिज कर दिया कि मूल्य प्रकटीकरण समझौते की गोपनीयता के तहत कवर किया गया है। मूल्य निर्धारण के विषय में रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुने जाने और साथ–साथ राफेल समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के पालन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चार याचिकाएं डाली गई। यह चार याचिकाएं वकील प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा और विनीत ढांडा, पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दायर की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने 14 नवंबर 2019 को इस विषय में व्यापक चर्चा के पश्चात निर्णय सुरक्षित रखा। निर्णय की घोषणा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राफेल जेट के मूल्य निर्धारण विवरण पर चर्चा तभी की जा सकती है, जब पहले से इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रांसीसी सरकार से संप्रभु गारंटी की कमी, डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारतीय ऑफसेट साझेदार के चयन और फ्रांस के साथ अंतर–सरकारी समझौते (आई जी ए) में प्रवेश करने की आवश्यकता सहित कई विषयों पर सरकार से व्यापक प्रश्न पूछे। तर्कों के दौरान, केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद कवर में समझौते के दौरान मूल्य निर्धारण और उसके बाद की प्रक्रिया का विवरण दर्ज किया, और अनुरोध किया था कि समझौते के विवरण को "राष्ट्रीय हित" में गोपनीय रखा जा रहा था। 14 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने राफेल सौदे में कुछ भी गलत नहीं पाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने कहा कि इस विषय का अध्ययन "बड़े पैमाने पर" किया गया था और यह संतुष्टि की गई कि राफेल समझौते पर हस्ताक्षर करने पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राफेल समझौते की प्रक्रिया पूरी तरह से ठीक थी और उसने उन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय द्वारा निग़रानी की जाँच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल जेट के मूल्य निर्धारण की जांच करना उसका काम नहीं था।

कांग्रेस की चुनावी रणनीति के रूप में राफेल

कुल मिलाकर भाजपा द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी को निश्चित रूप से लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है परन्तु भ्रष्टाचार के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अतिरिक्त कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। इन सब में कांग्रेस का आरोप कहीं न कहीं योजना के भांति दिखाई देता है।

जिसका कारण है 2014 चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी कांग्रेस की विफलता। जिस कारण कांग्रेस को न केवल चुनाव में हार का सामना करना पड़ा अपितु धीरे–धीरे अधिकतम राज्यों में कांग्रेस की जड़ें शक्तिहीन हो गईं। 2014 के पश्चात् कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के विरुद्ध नोटबंदी, जी एस टी, महंगाई व् बेराजगारी जैसे विषयों का प्रयोग किया गया परन्तु कांग्रेस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसके विपरीत भाजपा की लोकप्रियता बढ़ गयी और विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार को सफलता प्राप्त हुई। जिस कारणवश राफेल डील कांग्रेस क लिए भाजपा पर आरोप लगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी।

कांग्रेस के सभी सदस्य संसद से लेकर सड़क तक राफेल डील को लेकर भाजपा को आरोपी सिद्ध करने में जुट गए। साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा 'चौकीदार चोर है' जैसे कथन का प्रयोग कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का आरोपी बताया। हालाँकि राफेल को लेकर लगाए गए आरोपों के कारण भाजपा पर बहुत प्रश्न उठे परन्तु यह बात स्पष्ट थी कि राफेल को लेकर भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप मात्र कांग्रेस की चुनावी रणनीति थी। जिसको अस्त्र की भाँति प्रयोग कर कांग्रेस 2019 के चुनाव में विजय प्राप्त करना चाहती थी ।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007